विषयः– मंत्रिपरिषद् के विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन में वित्त विभाग की मंत्रणा का उल्लेख करने बारे हिदायतें ।

.....00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय पर इस अनुभाग के अशाः क्रमांक 5/3/1988–2कैबिनेट, दिनांक 26.08.2002 एवं अशाः क्रमांक 10/5/2003–2कैबिनेट, दिनांक 24.04.2003 तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगें ?

2. प्रायः यह देखने मे आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करते समय अपने ज्ञापन में वित्त विभाग से सम्बन्धित मंत्रणा का उल्लेख नही किया जाता है जबकि जिन मामलों में वित्तीय विविक्षा निहित होती है या राज्य का वित्त प्रभावित होता है, ऐसे मामलों में प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने ज्ञापन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्ताव में कोई वित्तीय विविक्षा निहित है अथवा नही, यदि है तो वित्तीय विभाग से परामर्श कर लिया गया है। फिर भी प्रायः यह देखने में आता है कि जिन मामलों में वित्तीय विविक्षा, निहित होती है या राज्य का वित्त प्रभावित होता है कई प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे मामले वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किए बगैर ही मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ भेज दिये जाते है, जोकि सरकार की हिदायतों तथा हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियमावली, 1977 के नियम 7 (क)(2) में प्रावधान के विरूद्ध है । अतः प्रशासकीय विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि भविष्य मे ज्ञापन तैयार करते समय इन हिदायतों की दृढता से पालना की जाए ।

रजनी शर्मा
अवर सचिव, मंत्रिमण्डल
कृतेः सचिव मंत्रिपरिषद् हरियाणा

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

अशा क्रमांक 10/11/2011–2 कैबिनेट

दिनांक 25 सितम्बर, 2017 ।